

उत्तर संख्या 10/2014 निगरानी, अन्वय
महानिर्देश अनाम ग्राहक पंचायत मानकाल,
ज्जायालय जिला कलकत्ता हुनुमावाठ

24-1-17

पत्रावली पेश हुई। वकील
पक्षी ने कथन किया है कि
उक्त उक्त निगरानी में पैरवी की
विदापत नहीं है। निगरानी कारी
त्वचं उपस्थित नहीं आया है
झारू का ही उक्तकी झोरू केई
अन्ध उपस्थित आया है। अतः
निगरानी कारी की निगरानी अन्ध
पैरवी व अन्ध हाजरी में उक्त
लेख पर खासिय की जाती है।
पत्रावली नम्बर के काम की जल्द
दाखिल रहने की जावे।

आदेश हुनुमा गण।

प्रथम
जिला कलकत्ता
हुनुमावाठ

पत्रावली नम्बर
(No 24/17)
दिनांक
24/1/17